राजस्थान सरकार
कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति (नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल– stpdlb@gmail.com

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-III/15/ 2615 दिनांक : 30.10.2015

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक DLB/STP/SLC/CILU/14/01 दिनांक 11.12.2014 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक DLB/STP/SLC/CILU/ 14/47 दिनांक 18.12.2014 के क्रम में नगर निगम/परिषद/पालिकाओं हेतु गठित राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की तृतीय बैठक दिनांक 10.09.2015 को 02:30 बजे निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉ. मन्जीत सिंह, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. द्वारा की गई। बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुये :–

- श्री पुरूषोत्तम बियाणी, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर। (सदस्य)
- श्री आर.के. विजयवर्गीय, सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर। (सदस्य सचिव)
- संबंधित नगरीय निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/प्रतिनिधि (संलग्न परिशिष्ट 'अ') (सदस्य)
- नगर नियोजन विभाग से निम्न अधिकारी उपस्थित हुए :–
  - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर
  - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक कोटा
  - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर
  - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर
  - उप नगर नियोजक, उदयपुर
  - सहायक नगर नियोजक, बीकानेर (प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर)
  - सहायक नगर नियोजक, जयपुर (प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर)

समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

01.	प्रस्तुत प्रकरणों की कुल संख्या	76
02.	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	63
03.	अन्य दस्तावेजों के अभाव में आगामी बैठक में प्रस्तुत किये	06
04.	निरस्त प्रकरणों की संख्या	03
05.	स्थानीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को अधिकृत किया	04

बैठक में सर्वप्रथम प्रमुख शासन सचिव द्वारा गत बैठक दिनांक 30.04.2015 में लिये गये निर्णय की पालना बाबत् चर्चा की गयी एवं समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्णय की कियान्विति रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं आगामी बैठक से पूर्व Action Taken Report उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा एवं लिये गये निर्णयों का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण राज्य सरकार अनुमोदन पश्चात् संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

30/10/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : **F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-III/15/**2616-18 दिनांक : 30-10-15

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राष्ट्रीय राजधानीय क्षेत्र (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर।

30/10/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : **F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-III/15/**2619-79 दिनांक : 30-10-2015

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर , कोटा, उदयपुर एवं उप नगर नियोजक,अलवर उप क्षेत्र।
2. आयुक्त , नगर परिषद, चुरू, हनुमानगढ़, बाड़मेर, डुंगरपुर, चित्तोड़गढ़, किशनगढ गंगापुरसिटी, बारां,।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर, देवली, गंगापुर (भीलवाड़ा), मालपुरा,, गुलाबपुरा, रावतसर, श्री डूंगरगढ़, सरदारशहर, नोखा, भादरा, अनुपगढ़, फुलेरा, साम्भर लेक, उदयपुरवाटी, मण्डावा, शाहपुरा, नीमकाथाना, सुमेरपुर, तखतगढ़, सादड़ी, पिण्डवाड़ा, फलोदी, अन्ता, निम्बाहेडा, देवगढ़, कानोड, नाथद्वारा, बड़ी सादड़ी, सलूम्बर, नंदबई, डीडवाना, रायसिंहनगर, सुरतगढ़, पीलीबंगा, कोटपूतली।

30/10/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

राजस्थान सरकार
कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति
(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल– stpdlb@gmail.com

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-III/15/2557-63 **दिनांक : 30.10.2015**

वरिष्ठ नगर नियोजक,
अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर
उप नगर नियोजक,
अलवर क्षेत्र, अलवर।

विषयः–नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की तृतीय बैठक दिनांक 10.09.2015 का ऐजेण्डावार कार्यवाही विवरण के संबंध में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगर निगम/परिषद/पालिका सें संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की तृतीय बैठक दिनांक 10.09.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् अग्रिम कार्यवाही हेतु जारी किया जा रहा है।

यद्यपि सम्पूर्ण एजेण्डों का समूचित परीक्षण किया गया है। तथापि सहवन से कोई त्रुटि रह जाती है तो अविलम्ब इस कार्यालय को सूचित करने का श्रम करें।

30/10/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-III/15/2564-2614 दिनांक : 30-10-2015
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर , कोटा, उदयपुर एवं उप नगर नियोजक,अलवर उप क्षेत्र।
2. आयुक्त , नगर परिषद, चुरू, हनुमानगढ़, बाड़मेर, डुंगरपुर, चित्तोड़गढ़, किशनगढ गंगापुरसिटी, बारां,।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर, देवली, गंगापुर (भीलवाड़ा), मालपुरा,, गुलाबपुरा, रावतसर, श्री डूंगरगढ़, सरदारशहर, नोखा, भादरा, अनुपगढ़, फुलेरा, साम्भर लेक, उदयपुरवाटी, मण्डावा, शाहपुरा, नीमकाथाना, सुमेरपुर, तखतगढ़, सादड़ी, पिण्डवाड़ा, फलोदी, अन्ता, निम्बाहेडा, देवगढ़, कानोड, नाथद्वारा, बड़ी सादड़ी, सलूम्बर, नंदबई, डीडवाना, रायसिंहनगर, सुरतगढ़, पीलीबंगा, कोटपूतली।

30/10/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की तृतीय बैठक दिनांक 10.09..2015 का ऐजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 01/डीएलबी/एसटीपी/एजेजेड/पुष्कर

	शहर कस्बे का नाम	पुष्कर
1.	आवेदक का नाम	श्री रंगनाथ वेणी गोपाल मन्दिर पुष्कर न्यासी अनन्त प्रसाद ल. गनेरीवाल
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम बांसेली के खसरा नं. 262, 263, 264, 265, 266, 267 क्षेत्रफल 22506 वर्गगज
3.	क्षेत्रफल	1.8818 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि पुष्कर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 08.01.14 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण नही हुये है। आवेदित भूमि पुष्कर से बांसेली ग्राम को जाने वाली सडक पर पूर्व दिशा में स्थित है। मौके पर सडक की चौडाई लगभग 24 फीट है। जिसे 80 फीट किया जाना प्रस्तावित है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो समाचार पत्रों दैनिक भास्कर एंव राजस्थान पत्रिका को 17.10.2007 व संशोधित आम सूचना दिनांक 03.11.2007 को प्रकाशित कराई गई। जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र ''ब'' में परिधि नियंत्रण क्षैत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर द्वारा अपने पत्र दिनांक 08.05.2013 द्वारा आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षैत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षैत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. आवेदित भूमि पुष्कर से बांसेली ग्राम को जाने वाली सडक पर पूर्व दिशा में स्थित है। मौके पर सडक की चौडाई लगभग 24 फीट है। जिसे 80 फीट किया जाना प्रस्तावित है। अतः 80 फीट सडक की सुनिश्चिता स्थानीय स्तर पर की जानी होगी। प्रार्थी से सड़क के मध्य से 40 फीट तक आने वाली आवेदित भूमि को नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पण करनी होगी।	

समिति का निर्णय :– उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, अधिशाषी अधिकारी, पुष्कर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तो के अध्याधीन राजस्व ग्राम बांसेली के खसरा नं. 262, 263, 264, 265, 266, 267 क्षेत्रफल 1.8818 हैक्टेयर भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षैत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. आवेदित भूमि पुष्कर से बांसेली ग्राम को जाने वाली सडक पर पूर्व दिशा में स्थित है। मौके पर सडक की चौडाई लगभग 24 फीट है। जिसे 80 फीट किया जाना प्रस्तावित है। अतः 80 फीट सडक की सुनिश्चिता स्थानीय स्तर पर की जानी होगी। प्रार्थी से सड़क के मध्य से 40 फीट तक आने वाली आवेदित भूमि को नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पण की जावेगी।
2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा एवं योजना में 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा।
3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
5. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी–2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।
6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
7. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 02/डीएलबी/एसटीपी/एजेजेड/पुष्कर

	शहर कस्बे का नाम	पुष्कर
1.	आवेदक का नाम	श्री अनन्त प्रसाद ल. गनेरीवाल सोल ट्रस्टी रंगनाथ वैणीगोपाल मन्दिर पुराना
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम पुष्कर के खसरा नं. 159, 270, 271, 273 की 5769 वर्गगज
3.	क्षेत्रफल	0.4824 है0
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिसंचरण उद्यान एंव खुला क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	वाणिज्यिक (वाणिज्यिक परिसर) प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर के अनुसार वैध है।

7. **प्रकरण के तथ्य** :–

1. प्रश्नगत भूमि पुष्कर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में परिसंचरण उद्यान एवं खुला क्षेत्र में दर्शित है। प्रश्नगत प्रकरण को राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 18.01. 2001 में एजेण्डा आईटम नं. 17 में रखा गया था तथा भूमि का परिसंचरण उद्यान एंव खुला क्षेत्र से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय शतो के अध्याधीन लिया गया था जिनकी दो शर्ते निम्नानुसार है :–
   - अ. नगर पालिका पुष्कर द्वारा इस क्षेत्र में एकत्रित होने वाले मकानों एवं वर्षा के पानी के समुचित निस्तारण हेतु नीरी या जन स्वास्थ्य विभाग जैसे संस्था से प्रोजेक्ट तैयार कराया जावे जिसका 50 प्रतिशत व्यय श्री गनेरीवाल द्वारा वहन किया जायेगा।
   - ब. पानी के निस्तारण हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिये गये प्रस्तावों के कियान्वयन हेतु प्रस्तावित व्यय का 50 प्रतिशत श्री गनेरीवाल द्वारा वहन किया जायेगा एवं उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु यदि आवश्यक हो तो इनके द्वारा पूर्णखण्ड की भूमि में से भू–पट्टी उपलब्ध कराई जाऐगी।
2. प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.07.2012 को प्रमुख शासन सचिव महोदय को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 18.01.2001 में एजेण्डा आईटम नं. 17 में उपरोक्त शर्त संख्या – अ और ब में निम्नानुसार संशोधन कराने का श्रम करेः– यह मन्दिर पूरा नाला बनाने का खर्च वहन करेगा एवं पानी की निकासी की जिम्मेदारी भी मन्दिर लेगा व इसमें लगने वाला खर्च पूर्ण रूप से वहन करेगा।
3. प्रकरण में गत बैठक दिनांक 30.04.15 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में नगर पालिका, पुष्कर से प्राप्त पत्र दिनांक 08.09.15 के साथ संलग्न वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर का पत्र दिनांक 15.07.15 में प्रकरण का वर्तमान परिपेक्ष्य में परीक्षण कर अवगत कराया है कि प्रश्नगत भूमि पुष्कर मास्टर प्लान–2031 अनुसार व्यावसायिक भू–उपयोग में दर्शित है तथा मास्टर प्लान के अनुसार भूमि के सामने सडक का मार्गाधिकार 24 मीटर है।

8. **प्रस्ताव** :–

उपरोक्त बिन्दु संख्या 7 के समस्त 3 तथ्यों के मध्यनजर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन अजमेर द्वारा प्रश्नगत भूमि का मास्टर प्लानमें भू–उपयोग व्यावसायिक दर्शित होना एवं 24 मीटर सडक की स्थानीय स्तर पर सुनिश्चितता की शर्तो के अध्यध्यीन राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 18.01.2001 में एजेण्डा आईटम नं. 17 में लिए गये निर्णय में प्रार्थी के प्रस्ताव अनुसार संशोधन किया जाना उचित होगा।

4. **समिति का निर्णय :–** उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, अधिशाषी अधिकारी, पुष्कर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि पूर्व में राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 18.01.2001 में एजेण्डा नं. 17 में रखा गया था तथा भूमि का परिसंचरण उद्यान एंव खुला क्षेत्र से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय शतो के अध्याधीन लिया गया था। उक्त निर्णय की शर्तो में से दो शर्ते निम्नानुसार है :–

अ. नगर पालिका पुष्कर द्वारा इस क्षेत्र में एकत्रित होने वाले मकानों एवं वर्षा के पानी के समुचित निस्तारण हेतु नीरी या जन स्वास्थ्य विभाग जैसे संस्था से प्रोजेक्ट तैयार कराया जावे जिसका 50 प्रतिशत व्यय श्री गनेरीवाल द्वारा वहन किया जायेगा।

ब. पानी के निस्तारण हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिये गये प्रस्तावों के कियान्वयन हेतु प्रस्तावित व्यय का 50 प्रतिशत श्री गनेरीवाल द्वारा वहन किया जायेगा एवं उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु यदि आवश्यक हो तो इनके द्वारा पूर्णखण्ड की भूमि में से भू–पट्टी उपलब्ध कराई जाऐगी।

प्रार्थी द्वारा उपरोक्त दोनो शर्तो में निम्नानुसार संशोधन चाहा गया है कि ***"यह मन्दिर, पूरा नाला बनाने का खर्च वहन करेगा एवं पानी की निकासी की जिम्मेदारी भी मन्दिर लेगा व इसमें लगने वाला खर्च पूर्ण रूप से वहन करेगा।"*** चुंकि प्रार्थी के प्रस्ताव से निकाय पर किसी प्रकार का वित्तीय भार नही आता है। अतः निम्न शर्तो के अध्याधीन राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 18.01.2001 में एजेण्डा आईटम नं. 17 में लिए गये निर्णय की शर्त संख्या – अ और ब में प्रार्थी के प्रस्ताव अनुसार संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. प्रार्थी/ट्रस्ट/मन्दिर द्वारा प्रश्नगत नाले के निर्माण का सम्पूर्ण खर्च किया जावेगा, तथा पानी की निकासी की जिम्मेदारी भी प्रार्थी/ट्रस्ट/मन्दिर लेगा व इसमें लगने वाला खर्च पूर्ण रूप से वहन करेगा।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय
राजस्थान जयपुर

2. आवेदित भूमि मास्टर प्लान 24 मीटर सडक स्थित है। अतः मास्टर प्लान के प्रस्ताव अनुसार सड़क के मध्य से निर्धारित दूरी में आने वाली भूमि का निःशुल्क समर्पण कराया जाना आवश्यक होगा।
3. व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का अनुमोदन प्रचलित भवन विनियमों के तहत् सक्षम स्तर से कराया जाना होगा।
4. भवन मानचित्र के अनुमोदन के समय भवन में L.E.D. लाईट्स व Water Harvesting Structure, ठोस कचरा प्रबन्धन का समायोजन किया जावेगा।
5. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
6. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
7. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 03/डीएलबी/एसटीपी/एजेजेड/पुष्कर

	शहर कस्बे का नाम	पुष्कर
1.	आवेदक का नाम	नगर पालिका, पुष्कर
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम पुष्कर के खसरा नं0 2148/2982 रकबा 9.032 हैक्टेयर भूमि में से 10000 वर्गमीटर
3.	क्षेत्रफल	1.0 है0
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	रेत के टिले (परिधी नियंत्रण क्षेत्र में स्थित)
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	शैक्षणिक (राजकीय महाविधालय)
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर के अनुसार वैध है।
7.	प्रकरण के तथ्य :– 1. प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान–2031 में रेत के टिले (परिधी नियंत्रण क्षेत्र में स्थित) भू–उपयोग में आरक्षित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 08.01.2014 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण नही हुये है। आवेदित भूमि पुष्कर से खरखेडी को जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है। उक्त सड़क का मार्गाधिकार मास्टर प्लान के अनुसार 30 मीटर प्रस्तावित है। 2. नगर पालिका बोर्ड की बैठक दिनांक 12.11.2012 को प्रशनगत खसरा नं. 2148/2982 के रकबा में से राजकीय भूमि ́नगर पालिका को हस्तानान्तरण की गई। राजकीय महाविधालय हेतु आंवटित किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 22.05.2015 को भूमि आंवटन की स्वीकृति दी जा चुकी है। 3. पत्रावली में आपत्ति सूचना का अभाव है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर द्वारा प्रकरण में पत्र दिनांक 28.04.2015 द्वारा रेत के टिले (परिधी नियंत्रण क्षेत्र में स्थित) में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (महाविधालय) हेतु भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
8.	प्रस्ताव :– उपरोक्त बिन्दु संख्या 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर नगरीय निकाय विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत् प्रश्नगत भूमि का रेत के टिले (परिधी नियंत्रण क्षेत्र में स्थित) से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने में तकनीकी दृष्टया कोई आपत्ति नही है। 1. सड़क का मार्गाधिकार मास्टर प्लान में 30 मीटर प्रस्तावित है। सड़क के मध्य से 15 मीटर आवेदित भूमि में से छोड़ा जाये। 2. आपत्ति सूचना यदि नही जारी की गई हो तो 15 दिवस की आपत्ति का प्रकाशन कर भू–उपयोग परिवर्तन के आदेश जारी किये जायेगें।	

समिति का निर्णय :– उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, अधिशाषी अधिकारी, पुष्कर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तो के अध्याधीन राजस्व ग्राम पुष्कर के खसरा नं0 2148/2982 रकबा 9.032 हैक्टेयर भूमि में से क्षेत्रफल 1.00 हैक्टेयर भूमि का रेत (परिधी नियंत्रण क्षेत्र में स्थित) के टिले क्षैत्र से शैक्षणिक (राजकीय महाविधालय) भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. आवेदित भूमि पुष्कर से खरखेडी को जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है। उक्त सड़क का मार्गाधिकार मास्टर प्लान के अनुसार 30 मीटर प्रस्तावित है। सड़क के मध्य से 15 मीटर आवेदित भूमि में से छोड़ा जावेगे।
2. भूखण्ड पर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का प्रचलित भवन विनियमों के तहत नियमानुसार अनुमोदन कराया जाना होगा।
3. भवन में ग्रीन बिल्डिंग अवधारण के प्रोत्साहन एवं उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
4. भवन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
5. बॉयो–टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।
6. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
7. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 04/डीएलबी/एसटीपी/एजेजेड/पुष्कर

1.	शहर कस्बे का नाम	पुष्कर
2.	आवेदक का नाम	नगरपालिका पुष्कर
3.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम पुष्कर के खसरा नं. 195 नया खसरा नं. 712,713 रकबा 14–10–10 बीघा (2.36 हैक्टेयर)
4.	क्षेत्रफल	2.36 हैक्टेयर
5.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	आंशिक भू–भाग आवासीय शेष भूमि खुला स्थल पार्क खेल मैदान स्टेडियम, वन, कब्रिस्तान
6.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय (आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्गो हेतु मेगा आवास योजना ग्रुप हाउसिंग)
7.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका पुष्कर के अनुसार स्वामित्व वैध है। तथा भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।

8. **प्रकरण के तथ्य** :–

1. प्रश्नगत भूमि, पुष्कर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में भू–उपयोग आंशिक भू–भाग आवासीय शेष भूमि खुला स्थल पार्क खेल मैदान स्टेडियम, वन, कब्रिस्तान दर्शित है। मास्टर प्लान–2031, दिनांक 08.01.2014 को लागु किया जा चुका है। अतः मास्टर प्लान को लागु हुये 2 वर्ष पूर्ण नही हुयें है। आवेदित भूमि नगर पालिका स्वामित्व की रिक्त भूमि पर सहभागिता आवास योजना (अफोर्डेबल हाउसिंग योजना) के अन्तर्गत मेगा आवास परियोजना पुष्कर के लिये प्रस्तावित है। इस स्थल तक पहुंच मार्ग कच्चा रास्ता है। मास्टर प्लान–2031 के अनुसार मार्गधिकार भी चौड़ाई 60 फीट प्रस्तावित है। प्रश्नगत भूमि में से 11 केवी की दो लाईने गुजर रही है। प्रश्नगत भूमि के उत्तर–दिशा में बरसाती नाला है।
2. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका पुष्कर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना प्रकाशित नहीं है।
3. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका पुष्कर अनुसार प्रश्नगत भूमि का स्वामित्व वैध है। उनके द्वारा आंशिक भू–भाग आवासीय शेष भूमि खुला स्थल पार्क खेल मैदान स्टेडियम, वन, कब्रिस्तान से आवासीय (आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्गो हेतु मेगा आवास योजना ग्रुप हाउसिंग) परियोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।
4. प्रकरण में वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर जोन द्वारा सक्षम स्तर से भू–उपयोग परिवर्तन के उपरान्त ही आवासीय योजना के ले–आउट एवं भवन मानचित्रों पर तकनीकी राय दी जा सकेगी, हेतु लिखा है।

9. **प्रस्ताव** :–

प्रकरण का परिक्षण किया गया है। एवं यह तथ्य नोट किया गया है कि आवेदित भूमि पहाड़ी के तलहटी में स्थित है। तथा वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर जोन द्वारा भी प्रकरण में स्पष्ट अभिशंषा नही की गई है। प्रश्नगत स्थल पार्क हेतु उचित प्रतीत होता है।

समिति का निर्णय :– उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, अधिशाषी अधिकारी, पुष्कर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तो के अध्याधीन राजस्व ग्राम पुष्कर के खसरा नं. 195 नया खसरा नं. 712, 713 क्षेत्रफल 2.36 हैक्टेयर भूमि का आंशिक भू–भाग आवासीय शेष भूमि खुला स्थल पार्क खेल मैदान स्टेडियम, वन, कब्रिस्तान से आवासीय (आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्गो हेतु मेगा आवास योजना ग्रुप हाउसिंग) भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. इस स्थल तक पहुंच मार्ग हेतु कच्चा रास्ता उपलब्ध है। मास्टर प्लान–2031 के अनुसार उक्त मार्गाधिकार की चौड़ाई 60 फीट प्रस्तावित है। अतः सडक के केन्द्र से 30 फीट में आने वाली भूमि को प्रार्थी द्वारा सडक हेतु निःशुल्क समर्पित की जावेगा।
2. आवासीय (आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्गो हेतु मेगा आवास योजना ग्रुप हाउसिंग) भवन मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 एवं प्रचलित भवन विनियमों के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
3. भवन मानचित्र के अनुमोदन के समय भवन में L.E.D. लाईट्स व Water Harvesting Structure, ठोस कचरा प्रबन्धन का समायोजन किया जावेगा।
4. आवेदित भूमि में से 11 केवी की हाईटेंशन लाईन गुजर रही है। अतः हाईटेंशन लाईन की क्षमता अुनसार राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 18 (44)नविवि/जयपुर/2014 दिनांक 03.02.2015 के अनुसार निर्धारित सेफ्टी कॉरीडोर छोड़ा जावेगा।
5. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
6. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
7. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 05/डीएलबी/एसटीपी/एजेजेड/पुष्कर

1.	शहर कस्बे का नाम	पुष्कर
2.	आवेदक का नाम	नगरपालिका पुष्कर
3.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम पुष्कर के खसरा नं. 235 का भाग क्षेत्रफल 325.46 वर्गगज (272.124 वर्गमीटर)
4.	क्षेत्रफल	272.124 वर्गमीटर
5.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	अन्य सामुदायिक सुविधा (O.C.F)
6.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	व्यावसायिक
7.	भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका पुष्कर, के अनुसार स्वामित्व वैध है।
8.	**प्रकरण के तथ्य** :- 1. प्रश्नगत भूमि, पुष्कर नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान-2031 में भूमि का भू-उपयोग अन्यं सामुदायिक सुविधा क्षेत्र में दर्शित है। मास्टर प्लान-2031, दिनांक 08.01.2014 को लागु किया जा चुका है। अतः मास्टर प्लान को लागु हुये 2 वर्ष पूर्ण नही हुयें है। आवेदित भूमि नगरपालिका पुष्कर के स्वामित्व की रिक्त भूमि है। तथा भूमि के समीप ही सुलभ कॉम्पलेक्स स्थित है। प्रश्नगत भूखण्ड अजमेर-नागोर स्टेट हाईवे से लगता हुआ है। इस भूखण्ड के पूर्व दिशा में 20 फीट चौड़ी सडक है। 2. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका पुष्कर अनुसार प्रश्नगत भूमि का स्वामित्व वैघ है। 3. नगरपालिका पुष्कर में भू-उपयोग परिवर्तन कमेटी की बैठक दिनांक 09.03.2015 प्रस्ताव अनुसार राज्य स्तर पर स्वीकृति हेतु अनुशंषा की गई है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर की अभिशंषा का अभाव है।	
9.	**प्रस्ताव** :- उपरोक्त बिन्दु संख्या के समस्त 4 तथ्यों के मध्यनजर प्रकरण में प्रश्नगत भूमि सुलभ कॉम्पलेक्स के समीप स्थित है। जो कि एक सामुदायिक सुविधा का भाग है। अतः आवेदित स्थल पर सामुदायिक सुविधा यथा रेन बसेरा/नगर पालिका कार्यालय आदि हेतु आरक्षित रखा जाना उचित होगा।	

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेंण्डा बिन्दुओं, अधिशाषी अधिकारी, पुष्कर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गय कि प्रश्नगत भूखण्ड के आस-पास अन्य सामुदायिक सुविधाऐं उपलब्ध है, तथा भूखण्ड मुख्य सडक पर स्थित है। अतः भूखण्ड का व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा, जिसके निलामी से नगर पालिका को आय प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त पुष्कर शहर में प्रर्याप्त मात्रा में सामुदायिक सुविधाऐं एवं रेन बसेरा तथा कार्यालय उपयोग हेतु भूमि उपलब्ध है। अतः निम्न शर्तो के अध्याधीन राजस्व ग्राम पुष्कर के खसरा नं. 235 का भाग क्षेत्रफल 325.46 वर्गगज (272.124 वर्गमीटर) क्षेत्रफल 272.124 वर्गमीटर भूमि का अन्य सामुदायिक सुविधा (O.C.F) से व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. आवेदित भूखण्ड अजमेर-नागोर स्टेट हाईवे पर स्थित है। अतः मास्टर प्लान के प्रस्ताव अनुसार सडक का मार्गाधिकार सुनिश्चित किया जावेगा। तथा सडक में आने वाली भूमि को निकाय द्वारा छोड़ा जावेगा।
2. भूखण्ड पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदित कर जारी किये जावेगे।
3. भवन में पार्किंग हेतु नियमानुसार समुचित प्रावधान किया जावेगा।
4. भवन मानचित्र के अनुमोदन के समय भवन में L.E.D. लाईट्स व Water Harvesting Structure, ठोस कचरा प्रबन्धन का समायोजन किया जावेगा।
5. यह स्वीकृति केवल भू-उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90-क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी।
6. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
7. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 06/डीएलबी/एसटीपी/एजेजेड/देवली

1.	शहर कस्बे का नाम	देवली
2.	आवेदक का नाम	श्री गंगाराम पुत्र श्री बीरमा रेगर
3.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम देवली के खसरा नं. 4220 रकबा 0.24 है0 4221 रकबा 0.25 एवं 4230/4871 रकबा 0.15 है0 किता 3 कुल क्षैत्रफल 0.64 है0
4.	क्षेत्रफल	0.64 हैक्टेयर
5.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2023)" में दर्शाया उपयोग	परिधी नियंत्रण क्षेत्र
6.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय
7.	भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका देवली के अनुसार स्वामित्व वैध है।
8.	**प्रकरण के तथ्य** :- 1. प्रश्नगत भूमि, देवली नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत है। मास्टर प्लान-2023 में भूमि का भू-उपयोग परिधी नियंत्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2023, दिनांक 25.02.2003 को लागु किया जा चुका है। अतः मास्टर प्लान को लागु हुये दो वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित भूमि को मौके पर अजमेर से केकड़ी सड़क से मास्टर प्लान में प्रस्तावित 60 फीट चौड़ी सड़क के अन्दर की तरफ नगर पालिका की सिवायचक भूमि से 40 फीट सड़क उपलब्ध होना बताया गया है। आवेदित भूमि के एक कोने से एच.टी. विद्युत लाईन गुजर रही है। 2. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका देवली द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना 2 समाचार पत्रों दैनिक नवज्योति एवं एक अन्य में दिनांक 27.02.2015 को प्रकाशित कराई गई थी। निर्धारित समय अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका देवली अनुसार प्रश्नगत भूमि का स्वामित्व वैध है। तथा परिधी नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय परियोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर के पत्र दिनांक 12.05.2015 के अनुसार प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है। किन्तु 40 फीट सड़क के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नही किया गया है।	
9.	**प्रस्ताव** :- उपरोक्त बिन्दु सं. 8 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर प्रकरण में पहूंच मार्ग हेतु नगर पालिका एवं आवेदक द्वारा कोई दस्तावेज/शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। अतः प्रकरण में वर्तमान में पहूंच मार्ग सुनिश्चिता स्पष्ट नही होती है।	

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, देवली एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, अधिशाषी अधिकारी, देवली एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तो के अध्याधीन राजस्व ग्राम देवली के खसरा नं. 4220 रकबा 0.24 है0 4221 रकबा 0.25 एवं 4230/4871 रकबा 0.15 है0 किता 3 कुल क्षैत्रफल 0.64 हैक्टेयर भूमि का परिधी नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. आवेदित भूमि को मौके पर अजमेर से केकड़ी सड़क से मास्टर प्लान में प्रस्तावित 60 फीट चौड़ी सड़क के अन्दर की तरफ नगर पालिका की सिवायचक भूमि से 40 फीट सड़क उपलब्ध होना बताया गया है। अतः 40 फीट पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता की जावेगी।
2. आवेदित भूमि पर एक विद्युत लाईन गुजर रही है आवेदित स्थल में से गुजर रही हाईटेंशन लाईन को अन्यत्र स्थानान्तरित कराया जायेगा अथवा विद्युत लाईन की क्षमता अनुसार नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांकः प. 18(44)नविवि/जयपुर/2014 दिनांक 03.02.2015 के अनुसार एच.टी. लाईन के नीचे सैफ्टी कॉरीडोर निर्धारित कर योजना की प्लानिंग में समायोजन किया जावेगा।
3. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
4. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
5. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
6. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।
7. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
8. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
9. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 07/डीएलबी/एसटीपी/एजेजेड/देवली

	शहर कस्बे का नाम	देवली
1	आवेदक का नाम	श्रीमती चन्द्रेश कुमारी पुत्री श्री भंवरलाल शर्मा
2	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम हनुमान नगर तह. जहाजपुर के खसरा नं. 382, 383, 384, कुल रकबा 9.06 बीघा (15054.30 वर्ग मीटर)
3.	क्षेत्रफल	1.50 है0
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2023)" में दर्शाया उपयोग	परिधी नियंत्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका देवली के अनुसार स्वामित्व वैध है।

7. **प्रकरण के तथ्य** :–

1. प्रश्नगत भूमि, देवली नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान–2023 में भूमि का भू–उपयोग परिधी नियंत्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान–2023, दिनांक 25.02.2003 को लागु किया जा चुका है। अतः मास्टर प्लान को लागु हुये 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित भूमि देवली से ग्राम कुचलवाड़ा ग्राम को जाने वाली सड़क पर स्थित है। मास्टर प्लान–2023 के अनुसार उक्त सड़क की चौड़ाई 80 फीट प्रस्तावित है। विद्यमान सड़क की चौड़ाई 80 फीट है। आवेदिक भूमि के पार्श्व भाग में कच्चा रास्ता दर्शित है, जिसकी चौड़ाई मास्टर प्लान में 60 फीट प्रस्तावित है। मौके पर भूमि रिक्त है।
2. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका देवली द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना 2 समाचार पत्रों में दिनांक 25.04.2015 को प्रकाशित कराई गई थी। निर्धारित समय अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
3. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका देवली अनुसार प्रश्नगत भूमि का स्वामित्व वैघ है। तथा परिधी नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय परियोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर के पत्र दिनांक 29.06.2015 द्वारा प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है कि

समिति का निर्णय :– उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, देवली एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, अधिशाषी अधिकारी, देवली एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तो के अध्याधीन राजस्व ग्राम हनुमान नगर तह. जहाजपुर के खसरा नं. 382, 383, 384, कुल क्षेत्रफल 1.50 हैक्टेयर भूमि का परिधी नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. आवेदित भूमि देवली से ग्राम कुचलवाड़ा ग्राम को जाने वाली सड़क पर स्थित है। मास्टर प्लान–2023 के अनुसार उक्त सड़क की चौड़ाई 80 फीट प्रस्तावित है। विद्यमान सड़क की चौड़ाई 80 फीट है। अतः 40 फीट पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता की जावेगी। आवेदिक भूमि के पार्श्व भाग में कच्चा रास्ता दर्शित है, जिसकी चौड़ाई मास्टर प्लान में 60 फीट प्रस्तावित है। अतः 60 फीट पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता की जावेगी।
2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा एवं योजना में 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा।
3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
5. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी–2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।
6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
7. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 08/डीएलबी/एसटीपी/एजेजेड/देवली

1.	शहर कस्बे का नाम	देवली
2.	आवेदक का नाम	श्री रमेशचन्द्र टांक, श्री किशनलाल टांक,
3.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम कुंचलवाडा कलां तह. जहाजपुर के खसरा नं. 230, रकबा 3 बीघा 5 बीस्वा (5260.74 वर्गमीटर)
4.	क्षेत्रफल	0.5261 है0
5.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2023)" में दर्शाया उपयोग	औद्योगिक
6.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय
7.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका देवली के अनुसार स्वामित्व वैध है। तथा भू–उपयोग परिवर्तन की अनुशंषा की गई है।
8.	**प्रकरण के तथ्य** :– 1. प्रश्नगत भूमि, का देवली नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2023 में भूमि का भू–उपयोग परिधी नियंत्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान–2023, दिनांक 25.02.2003 को लागु किया जा चुका है। अतः मास्टर प्लान को लागु हुये 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित भूमि पुरानी जयपुर मैन रोड़ बाईपास की तरफ जाने वाले रास्ते पर ग्राम कुंचलवाड़ा में स्थित है। प्रश्नगत भूखण्ड तक पहुंचने मार्ग उपलब्ध है। मार्गधिकार की चौड़ाई भूखण्ड के सामने 130 फिट उपलब्ध है। नगर पालिका के प्रस्ताव अनुसार प्रश्नगत मार्ग की चौड़ाई 100 फीट प्रस्तावित है। उक्त खसरे की भूमि पूर्व में परिधी नियंत्रण क्षेत्र से ओद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु रूपान्तरण किया गया है। 2. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका देवली द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना 2 समाचार पत्रों में दिनांक 30 मई 2015 को प्रकाशित कराई गई थी। निर्धारित समय अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका देवली अनुसार प्रश्नगत भूमि का स्वामित्व वैघ है। औद्योगिक से आवासीय परियोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर के पत्र दिनांक 30.06.2015 के अनुसार प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
9.	**प्रस्ताव** :– प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण में आवेदित भूमि को 100 फीट चौड़ी सड़क पर अभिशंषा की गई है अथवा 130 फीट चौड़ी सड़क पर स्पष्ट नही होता है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में निम्न दस्तावेजों का अभाव है:– पूर्व में परिधी नियंत्रण क्षेत्र से ओद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन के आदेश की प्रति, ओद्योगिक प्रयोजनार्थ लीजडीड/पट्टे की प्रति,	

समिति का निर्णय :– उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, देवली एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, अधिशाषी अधिकारी, देवली एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तो के अध्याधीन राजस्व ग्राम कुंचलवाडा कलां तह. जहाजपुर के खसरा नं. 230, रकबा 3 बीघा 5 बीस्वा (5260.74 वर्गमीटर) कुल क्षैत्रफल 0. 5261 हैक्टेयर भूमि का औद्योगिक क्षेत्र से आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. आवेदित भूमि पुरानी जयपुर मैन रोड़ बाईपास की तरफ जाने वाले रास्ते पर ग्राम कुंचलवाड़ा में स्थित है। प्रश्नगत भूखण्ड तक पहुंचने मार्ग उपलब्ध है। मार्गधिकार की चौड़ाई भूखण्ड के सामने 130 फिट उपलब्ध है। नगर पालिका के प्रस्ताव अनुसार प्रश्नगत मार्ग की चौड़ाई 100 फीट प्रस्तावित है। अतः 100 फीट पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता की जावेगी।
2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
5. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी–2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।
6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
7. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 09/डीएलबी/एसटीपी/एजेजेड/देवली

1.	शहर कस्बे का नाम	देवली
2.	आवेदक का नाम	श्री प्रभूलाल पुत्र श्री गंगाराम, कमला पत्नि श्री प्रभूलाल, व कमला पत्नि किशन लाल
3.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम ऊँचा के खसरा नं. 1091, 1092, 1093, 1094, 1095 कुल किता 5 रकबा 18 बीघा (29127 वर्गमीटर)
4.	क्षेत्रफल	2.91 है0
5.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2023)" में दर्शाया उपयोग	परिधी नियंत्रण क्षेत्र
6.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय
7.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका देवली के अनुसार स्वामित्व वैध है।

8. **प्रकरण के तथ्य** :–

1. प्रश्नगत भूमि, का देवली नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2023 में भूमि का भू–उपयोग परिधी नियंत्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान–2023, दिनांक 25.02.2003 को लागु किया जा चुका है। मास्टर प्लान को लागु हुये 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित भूमि ज्योति कॉलोनी से अजमेर बाईपास को जाने वाली सड़क पर स्थित है। उक्त सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट प्रस्तावित है। मौके पर भूमि रिक्त है। आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में, पूर्व से दिशा को जाने वाली ग्रामीण सड़क स्थित है। उक्त सड़क का मार्गाधिकार 66 फीट मौके पर उपलब्ध है। प्रश्नगत भूमि उंचा तालाब एवं सिंघारिया तालाब के भराव क्षेत्र से प्रभावित प्रतीत होती है। एल.टी. विद्युत लाईन गुजर रही है। कार्यालय सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड जहाजपुर के पत्र दिनांक 08.06.2015 के अनुसार तालाब के भराव क्षेत्र से प्रभावति नही है।
2. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका देवली द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना 2 समाचार पत्रों में दिनांक 31.12.2014 को प्रकाशित कराई गई थी। निर्धारित समय अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
3. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका देवली अनुसार प्रश्नगत भूमि का स्वामित्व वैघ है। उनके द्वारा परिधी नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय परियोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की भाग 'ब' में अभिशंषा की गई है।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर के पत्र दिनांक 28.05.2015 अनुसार प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।

समिति का निर्णय :– उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, देवली एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, अधिशाषी अधिकारी, देवली एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया की सेटेलाईट ईमेज अनुसार प्रश्नगत भूमि तालाब के भराव क्षेत्र से लगभग 80 मीटर की दूरी पर स्थित है। अतः केचमेन्ट एरिया/उच्च जल भराव क्षेत्र से प्रभावित होना प्रतीत होती है। अतः केचमेन्ट एरिया/उच्च जल भराव क्षेत्र के संबंध में वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर से प्रकरण का पूनः परीक्षण कराया जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 10/डीएलबी/एसटीपी/एजेजेड/गंगापुर

1.	शहर कस्बे का नाम	गंगापुर
2.	आवेदक का नाम	श्री जगदीश चन्द सत्यनारायण गणपत लाल पुत्र श्री डालचन्द्र माली, छीतरमल ओमप्रकाश रमेशचन्द्र पुत्र श्री जीतराम माली, ताराचन्द्र, मदनलाल पुत्र श्री नानूराम माली व श्रीमती बबीता पत्नि श्री दिलीप मेहता
3.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम सहाडा के खसरा नं. 5625 से 5642, 5659, 5660, 5662 से 5665, 5667, 5669, से 5671, 5673, से 5675 कुल किता 31 रकबा 5,38 हैक्टेयर
4.	क्षेत्रफल	5.38 हैक्टेयर
5.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	बस स्टेण्ड
6.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	व्यावसायिक(2900 वर्गमीटर.) एवं शेष 4.22 है0 भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ
7.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका गंगापुर के अनुसार वैध है।
8.	**प्रकरण के तथ्य** :– 1. प्रश्नगत भूमि, गंगापुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में बस स्टेण्ड भू–उपयोग में दर्शित है। गंगापुर मास्टर प्लान–2031, दिनांक 31.05.2012 को लागु किया जा चुका है। अतः मास्टर प्लान को लागु हुये दो वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित स्थल साहड़ा चौराहे से गंगापुर शहर को जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है। उक्त सड़क का मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 100 फीट प्रस्तावित है। मौके पर उक्त भूमि पर दो विद्युत लाईन गुजर रही है तथा एक ट्रांसफार्मर स्थित है। आवेदित भूमि के पूर्व दिशा की और 20 फीट का नाला स्थित है।, तथा मुख्य सड़क की और भूमि पर व्यवासयिक दुकान निर्मित है, जिनका क्षेत्रफल 0,29 हैक्टेयर एवं शेष भूमि रिक्त है। 2. प्रकरण पर सार्वजनिक आपत्ति सूचना नियमानुसार समाचार पत्रों दैनिक भाष्कर व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 29.11.2013 को प्रकाशित की गई। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। 3. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका गंगापुर द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार स्वामित्व वैघ है। तथा पत्र दिनांक 18.12.2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर पालिका में स्वयं के स्वामित्व की नगर पालिका गंगापुर द्वारा राजस्व ग्राम मेलोनी खेडा के ख.नं. 2733, 2724, 2729, रकबा 1.56 है0 भूमि बस स्टेण्ड हेतु सहमति दी है, जिस पर बस स्टेण्ड प्रस्तावित किया जा सकता है। तथा बस स्टेण्ड हेतु भूमि भी पर्याप्त है अतः मास्टर प्लान में प्रस्तावित बस स्टेण्ड से व्यवसायिक एवं आवासीय परियोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर के पत्र दिनांक 20.01.2014 के अनुसार प्रश्नगत भूमि मुख्य सड़क पर स्थित है। मुख्य सड़क की और भूमि पर व्यवासयिक दुकान निर्मित है। जिनका क्षेत्रफल 0,29 हैक्टेयर व्यासायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग चाहा गया है। शेष रिक्त भूमि क्षेत्रफल 4,22 हैक्टेयर आवासीय प्रयोजनार्थ चाहा गया है, बस स्टेण्ड परियोजनार्थ नगर पालिका से सहमति दर्शाकर अनुशंषा की गई है। उक्त अनुशंषा के मध्यनजर भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होने की राय दी गई है।	
9.	**प्रस्ताव** :– उपरोक्त बिन्दु सं. 8 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर प्रकरण का परीक्षण किया गया। नगर पालिका की अभिशषा अनुसार मास्टर प्लान में प्रस्तावित बस स्टेण्ड के अतिरिक्त नगर पालिका की भूमि उपलब्ध है, जो बस स्टेण्ड हेतु उपयुक्त है। अतः बस स्टेण्ड की प्रस्तावित स्थिति के सन्दर्भ में निर्णय लिया जाना उचित होगा।	

समिति का निर्णय :– उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, गंगापुर (भीलवाडा) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, अधिशाषी अधिकारी, गंगापुर (भीलवाडा) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तो के अध्याधीन राजस्व ग्राम सहाडा के खसरा नं. 5625 से 5642, 5659, 5660, 5662 से 5665, 5667, 5669, से 5671, 5673, से 5675 कुल किता 31 रकबा 5,38 हैक्टेयर कुल क्षैत्रफल 5.38 हैक्टेयर भूमि का बस स्टेण्ड से व्यावसायिक (2900 वर्गमीटर.) एवं शेष 4.22 है0 भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. आवेदित स्थल साहड़ा चौराहे से गंगापुर शहर को जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है। उक्त सड़क का मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 100 फीट प्रस्तावित है। उपरोक्त 100 फीट सड़क के केन्द्र से 50 फीट में आने वाली भूमि का प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पण किया जावेगा। तथा सैक्टर प्लान होने की स्थिति में सैक्टर प्लान अनुसार सड़के योजना में रखी जानी अनिवार्य होगी।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

2. आवेदित भूमि पर दो विद्युत लाईन गुजर रही है तथा एक ट्रांसफार्मर स्थित है। आवेदित स्थल में से गुजर रही हाईटेंशन लाईन को अन्यत्र स्थानान्तरित कराया जायेगा अथवा विद्युत लाईन की क्षमता अनुसार नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांकः प.18(44)नविवि/जयपुर/2014 दिनांक 03.02.2015 के अनुसार एच.टी. लाईन के नीचे सैफ्टी कॉरीडोर निर्धारित कर तथा विद्युत ट्रांसफार्मर को योजना की प्लानिंग में समायोजन किया जावेगा।
3. आवेदित भूमि में सडक पर पूर्व में निर्मित निर्माण को योजना के ले-आउट प्लान अनुमोदन के समय समायोजित किया जावेगा। तथा भवन विनियमों एवं टाउनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधानों के विपरीत निर्माण को ध्वस्त कराया जावेगा।
4. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा की और 20 फीट का नाला स्थित है। अतः राजस्व विभाग से नाले की चौड़ाई के संबंध में सूचना प्राप्त कर नाले में आने वाली भूमि योजना में सम्मिलित नही की जावेगी। तथा नाले से प्रभावित बफर जोन को सुविधा में रखा जावेगा।
5. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
6. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
7. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
8. योजना में अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी-2009 के प्रावधानों के तहत EWS/LIG हेतु निर्धारित प्रतिशत के भूखण्ड/भूमि/फ्लैट्स आरक्षित रखे जाने होंगे। जिनका निस्तारण राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जावेगा। उक्त में से 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र /राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा।
9. योजना के भवनों में ग्रीन बिल्डिंग अवधारण के प्रोत्साहन एवं उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
10. योजना के भवनों में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
11. बॉयो-टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।
12. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।
13. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
14. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
15. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 11/डीएलबी/एसटीपी/एजेजेड/मालपुरा

1.	शहर कस्बे का नाम	मालपुरा
2.	आवेदक का नाम	श्री महेश कुमार भादू, श्री मनोज कुमार शर्मा एवं गिर्राज प्रसाद शर्मा
3.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम बृजलाल नगर तह. मालपुरा के खसरा नं. 1157/89 रकबा 7–15 बीघा
4.	क्षेत्रफल	1.96 है0
5.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधी नियंत्रण क्षेत्र
6.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय
7.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मालपुरा के अनुसार स्वामित्व वैध है। तथा भू–उपयोग परिवर्तन की अनुशंषा की गई है।
8.	**प्रकरण के तथ्य** :– 1. प्रश्नगत भूमि मालपुरा नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान–2031 में भूमि का भू–उपयोग परिधी नियंत्रण क्षेत्र दर्शित है। भूमिका भू–उपयोग आवासीय परियोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया है। आवेदित भूमि दूदू–मालपुरा को जोड़ने वाली सड़क पर स्थित है। जिसकी प्रस्तावित चौड़ाई 60 फीट है। मौके पर भूमि रिक्त है। 2. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मालपुरा द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो समाचार पत्रों दैनिक नवज्योति एवं राष्ट्रदूत में दिनांक 21 मार्च 2015 को प्रकाशित कराई गई थी। निर्धारित समय अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मालपुरा अनुसार प्रश्नगत भूमि का स्वामित्व वैघ है। उनके द्वारा परिधी नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय परियोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर द्वारा प्रस्तावित भूमि हेतु भू–उपयोग परिवर्तन की राय देवली के सन्दर्भ में दी गई है।	

समिति का निर्णय :– उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, मालपुरा एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, अधिशाषी अधिकारी, मालपुरा एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तो के अध्याधीन राजस्व ग्राम बृजलाल नगर तह. मालपुरा के खसरा नं. 1157/89 रकबा कुल क्षैत्रफल 1.96 हैक्टेयर भूमि का परिधी नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. आवेदित भूमि दूदू–मालपुरा को जोड़ने वाली सड़क पर स्थित है। जिसकी प्रस्तावित चौड़ाई 60 फीट है। अतः 60 फीट पहुॅच मार्ग की सुनिश्चितता की जावेगी।
2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा एवं योजना में 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा।
3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
5. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी–2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।
6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
7. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 12/डीएलबी/एसटीपी/एजेजेड/किशनगढ़

1.	शहर कस्बे का नाम	किशनगढ़
2.	आवेदक का नाम	नगर परिषद् किशनगढ़
3.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा नं. 180, रकबा 02–15–00 बीघा
4.	क्षेत्रफल	02–15–00 बीघा
5.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	भण्डारण एवं गोदाम
6.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	संस्थानिक प्रयोजनार्थ
7.	भू–स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त नगर परिषद् किशनगढ़ के अनुसार वैध है।

8. **प्रकरण के तथ्य** :–

1. नगरीय क्षेत्र किशनगढ मास्टर प्लान–2031 दिनांक 13.06.13 को लागू हुआ, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। किशनगढ़ मास्टर प्लान–2031 में इस भूमि का भू–उपयोग भण्डारण एवं गोदाम दर्शित है। प्रश्नगत भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास नं. 8 से सराणा ग्राम को मिलाने वाली ग्रामीण सड़क पर स्थित है। सड़क की चौडाई 30 फीट है। मास्टर प्लान 2031 में उक्त सड़क की चौड़ाई 60 फीट प्रस्तावित है। प्रश्नगत भूमि के उत्तर–पूर्व दिशा में 132 के.वी. विद्युत लाईन गुजरती है। तथा भूमि के पश्चित में लगभग 1200 मीटर की दूरी पर एयरपोर्ट स्थित है।
2. नगर परिषद् की एमपावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 05.06.2013 को बसीटा धोबी समाज विकास समिति मदनगंज को सरकारी रियायती दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है।
3. आयुक्त नगर परिषद् किशनगढ़ द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दैनिक नवज्योति व राष्ट्रदूत समाचार पत्रों में दिनांक 24.08.2013 को प्रकाशित कराई गई थी। निर्धारित समय अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
4. आयुक्त नगर परिषद् किशनगढ़ द्वारा प्रपत्र ''ब'' अनुसार स्वामित्व वैध है। तथा भण्डारण एवं गोदाम से संस्थानिक परियोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर के पत्र दिनांक 20.01.2014 के द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होने की राय दी गई है।

9. **प्रस्ताव** :–

उपरोक्त बिन्दु संख्या 8 के तथ्यों के मध्य नजर प्रश्नगत भूमि प्रस्तावित एयरपोर्ट के समीप स्थित है। भूमि का क्षैत्रफल 4451.39 वर्गमीटर है। एयरपोर्ट के समीप मास्टर प्लान अनुसार भण्डारण एवं गोदाम के आरक्षित भू–उपयोग के मध्य में संस्थानिक भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। उक्त भूमि को नगर पालिका द्वारा अन्य उपयोग यथा भण्डारण, व्यावसायिक आदि हेतु उपयोग किया जाना उचित होगा।

समिति का निर्णय :– उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त नगर परिषद् किशनगढ़ एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, आयुक्त नगर परिषद् किशनगढ़ एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि प्रश्नगत भूमि प्रस्तावित एयरपोर्ट एवं एन.एच.–8 के समीप स्थित है। अतः भूमि पर्यटन सुविधाओं/होटल/व्यावसायिक प्रयोजन हेतु उपयुक्त है। भूमि की उक्त मौका स्थिति अनुसार ग्राम मदनगंज के खसरा नं. 180, रकबा 02–15–00 बीघा कुल क्षैत्रफल 02–15–00 बीघा भूमि का भण्डारण एवं गोदाम से संस्थानिक प्रयोजनार्थ भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 13/डीएलबी/एसटीपी/एजेजेड/गुलाबपुरा

1.	शहर कस्बे का नाम	गुलाबपुरा
2.	आवेदक का नाम	दाता सत्संग सभा पुष्कर, जरिये अध्यक्ष श्री सुशील कुमार पुत्र श्री चन्द्रशेखर श्रोत्रिय एवं श्रीमती लाली देवी पत्नि श्री भागचन्द जाट
3.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम गुलाबपुरा द्वितीय के आराजी नं. 1040/1, 1040/2, 1050, 1052 किता 4
4.	क्षेत्रफल	0.728 है0
5.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	पार्क, खुले स्थल एवं खेल मैदान
6.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय
7.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका गुलाबपुरा के अनुसार स्वामित्व वैध है
8.	**प्रकरण के तथ्य** :– 1. प्रश्नगत भूमि का गुलाबपुरा नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में पार्क, खुले स्थल एवं खेल मैदान दर्शित है। मास्टर प्लान–2031, दिनांक 21.03.2012 को लागु किया जा चुका है। अतः मास्टर प्लान को लागु हुये 2 वर्ष पूर्ण हो गयें है। आवेदित भूमि से राष्ट्रीय राजमार्ग–79 को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क पर स्थित है। उक्त सड़क की चौड़ाई मास्टर प्लान अनुसार 80 फीट प्रस्तावित है। भूमि का एक भाग पूर्व दिशा की तरफ मास्टर प्लान की 100 फीट प्रस्तावित सड़क गुजर रही है। आवेदित भूमि पर 11 केवी की विद्युत लाईन गुजर रही है। 2. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका गुलाबपुरा द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 17.10.2014 को प्रकाशित कराई गई थी। निर्धारित समय अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका गुलाबपुरा अनुसार प्रश्नगत भूमि का स्वामित्व वैध है। एवं प्रकरण पर भू–उपयोग परिवर्तन करने की अनुशंषा की गई है। 4. जिला नगर नियोजक के पत्र दिनांक 17.04.2015 द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में स्पष्ट अभिशंषा नही की गई है। उक्त पत्र अनुसार पत्र वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर जोन से स्वीकृत है।	
9.	**प्रस्ताव** :– उपरोक्त बिन्दु सं. 8 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का पार्क, खुले स्थल एवं खेल मैदान से आवासीय परियोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। तथापि आवेदित स्थल एवं 80 फीट सड़क तथा प्रस्तावित 100 फीट सड़क के मध्य में शेष भूमि के संबंध में भी निर्णय लिया जाना उचित होगा।	
10.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, गुलाबपुरा एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, गुलाबपुरा एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, अधिशाषी अधिकारी, गुलाबपुरा एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तो के अध्याधीन राजस्व राजस्व ग्राम गुलाबपुरा द्वितीय के आराजी नं. 1040/1, 1040/2, 1050, 1052 किता 4 कुल क्षैत्रफल 0.728 है0 भूमि का पार्क, खुले स्थल एवं खेल मैदान से आवासीय भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने तथा शेष भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान के प्रस्ताव अनुसार ही रखे जाने का निर्णय लिया गया।

1. उक्त सड़क की चौड़ाई मास्टर प्लान अनुसार 80 फीट प्रस्तावित है। भूमि का एक भाग पूर्व दिशा की तरफ मास्टर प्लान की 100 फीट प्रस्तावित सड़क गुजर रही है। अतः 80 फीट सडक के केन्द्र से 40 फीट में आने वाली भूमि को प्रार्थी द्वारा सडक हेतु निःशुल्क समर्पित की जावेगी। तथा 100 फीट सडक के केन्द्र से 50 फीट में आने वाली भूमि को प्रार्थी द्वारा सडक हेतु निःशुल्क समर्पित की जावेगी।
2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
5. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी–2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।
6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
7. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

अतिरिक्त एजेण्डा नं. 60/डीएलबी/एसटीपी/एजेजेड/किशनगढ़

	शहर कस्बे का नाम	किशनगढ़
1.	आवेदक का नाम	श्री लालचन्द पुत्र श्री सुरजकरण भांभी
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम फरासिया के खसरा नं. 37/4 में रकबा 10 बीघा
3.	क्षेत्रफल	1.62 है0
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	अन्य सामुदायिक सुविधा (O.C.F) एवं आंशिक वाणिज्यिक केन्द्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त नगर परिषद् किशनगढ़ के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य** :– 1. प्रश्नगत भूमि का किशनगढ़ नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में अन्य सामुदायिक सुविधा (O.C.F) एवं आंशिक वाणिज्यिक केन्द्र में दर्शित है। किशनगढ मास्टर प्लान–2031 दिनांक 13.06.13 को लागू हुआ, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। प्रश्नगत भूमि राजस्व रास्ते पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार पूर्व में स्वीकृत प्रकरण में 80 फीट प्रस्तावित किया गया है। मौके पर 40 फीट सड़क उपलब्ध है, जो राष्ट्रिय राजमार्ग संख्या 8 से मिलती है। भू–उपयोग परिवर्तन समिति की 103 वीं बैठक दिनांक 26.05.2010 में खसरा नं. 37/3 जो आवेदित भूमि से लगता हुआ हैं। उक्त रास्ते को 80 फीट सेक्टर रोड के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है। आवेदित भूमि में से 132 केवी की विद्युत लाईन गुजर रही हैं। 2. आयुक्त नगर परिषद् किशनगढ़ द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो समाचार पत्र यथा दैनिक नवज्योति में दिनांक 10.07.2015 व राष्ट्रदूत में दिनांक 11.07.2015 को प्रकाशित कराई गई थी। निर्धारित समय अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3. आयुक्त नगर परिषद् किशनगढ़ द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार स्वामित्व वैध है। तथा अन्य सामुदायिक सुविधा (O.C.F) एवं आंशिक वाणिज्यिक केन्द्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर के पत्र दिनांक 03.09.2015 के द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होने की राय दी गई है।	

समिति का निर्णय :– उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त नगर परिषद् किशनगढ़ एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, आयुक्त नगर परिषद् किशनगढ़ एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तो के अध्याधीन राजस्व ग्राम फरासिया के खसरा नं. 37/4 में कुल क्षेत्रफल 1.62 है0 भूमि का अन्य सामुदायिक सुविधा (O.C.F) एवं आंशिक वाणिज्यिक केन्द्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. प्रश्नगत भूमि राजस्व रास्ते पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार पूर्व में स्वीकृत प्रकरण में 80 फीट प्रस्तावित किया गया है। अतः 80 फीट सडक के केन्द्र से 40 फीट में आने वाली भूमि को प्रार्थी द्वारा सडक हेतु निःशुल्क समर्पित की जावेगी।
2. आवेदित भूमि के मध्य से 132 के.वी. एच.टी. लाईन गुजर रही है। अतः नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांकः प.18(44)नविवि/जयपुर/2014 दिनांक 03.02.2015 के अनुसार एच.टी. लाईन के नीचे सैफ्टी कॉरीडोर निर्धारित कर योजना की प्लानिंग में समायोजन किया जावेगा।
3. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा एवं योजना में 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा।
4. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
5. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
6. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी–2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।
7. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
8. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
9. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

वरिष्ठ नगर नियोजक निदेशालय स्थानीय निकाय राजस्थान सरकार

अतिरिक्त एजेण्डा नं. 61/डीएलबी/एसटीपी/एजेजेड/डीडवाना

	शहर कस्बे का नाम	डीडवाना
1.	आवेदक का नाम	श्री पटवारी रियलकॉन प्रा0 लि0 जरिये राजेन्द्र प्रसाद पटवारी
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम डीडवाना के खसरा नं. 3865/2310 रकबा 02–11–00 बीघा
3.	क्षेत्रफल	4127 वर्गमीटर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2023)" में दर्शाया उपयोग	भण्डारण एवं गोदाम
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, डीडवाना के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि डीडवाना नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2023 में भण्डारण एवं गोदाम में दर्शित है। मास्टर प्लान–2023 दिनांक 17.09.2002 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित भूमि 40 फीट चौडी ग्रामीण सड़क पर स्थित है। जिसको मुख्य सडक से पहुंच मार्ग उपलब्ध होता है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, डीडवाना द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में दिनांक 28.04.15 को प्रकाशित कराई गई। जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, डीडवाना द्वारा भण्डारण एवं गोदाम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर के पत्र दिनांक 19.08.15 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का भण्डारण एवं गोदाम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का भण्डारण एवं गोदाम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के भण्डारण एवं गोदाम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. आवेदित भूमि 40 फीट चौडी ग्रामीण सडक पर स्थित है। जिसको मुख्य सडक से पहुंच मार्ग उपलब्ध होता है। पहुंच मार्ग हेतु 40 फीट सडक रखा जाना पालिका स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। सडक के मध्य से 20 फीट दूरी में आने वाली भूमि प्रार्थी द्वारा पालिका के हक में निःशुल्क समर्पित करनी होगी।	

समिति का निर्णय :– उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, डीडवाना एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, अधिशाषी अधिकारी, डीडवाना एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तो के अध्याधीन राजस्व राजस्व ग्राम डीडवाना के खसरा नं. 3865/2310 रकबा 02–11–00 बीघा कुल क्षैत्रफल 4127 वर्गमीटर भूमि का भण्डारण एवं गोदाम से आवासीय भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. आवेदित भूमि 40 फीट चौडी ग्रामीण सडक पर स्थित है। जिसको मुख्य सडक से पहुंच मार्ग उपलब्ध होता है। अतः 40 फीट पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता की जावेगी।
2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं स्म्क लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
5. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी–2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।
6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
7. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

अतिरिक्त एजेण्डा नं. 62/डीएलबी/एसटीपी/एजेजेड/डीडवाना

	शहर कस्बे का नाम	डीडवाना
1.	आवेदक का नाम	श्री नेमीचन्द्र तंवर पुत्र श्री जगनाथ
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम डीडवाना के खसरा नं. 189/1 871.20 वर्गगज
3.	क्षेत्रफल	728.43 वर्गमीटर (0.0728 है0)
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2023)" में दर्शाया उपयोग	सार्वजनिक सुविधाऐं (PU)
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, डीडवाना के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि डीडवाना नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2023 में सार्वजनिक सुविधाओं में दर्शित है। मास्टर प्लान–2023 दिनांक 17.09.2002 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित भूमि कुचामन को जाने वाले राज्य राजमार्ग–7 पर स्थित है। उक्त सडक का मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 200 फीट प्रस्तावित है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, डीडवाना द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों दैनिक भाष्कर व दैनिक नवज्योति में दिनांक 08.04.2015 को प्रकाशित कराई गई। संशोधित अधिसूचना 07.08.2015 को प्रकाशित करवाई गई। जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, डीडवाना द्वारा सार्वजनिक सुविधाओं से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर के पत्र दिनांक 09.09.2015 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का सार्वजनिक सुविधाओं से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का सार्वजनिक सुविधाऐं से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, डीडवाना एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, डीडवाना एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, अधिशाषी अधिकारी, डीडवाना एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तो के अध्याधीन राजस्व राजस्व ग्राम डीडवाना के खसरा नं. 189/1 871.20 वर्गगज कुल क्षैत्रफल 0.0728 है0 भूमि का सार्वजनिक सुविधाऐं (PU) से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. आवेदित भूमि कुचामन को जाने वाले राज्य राजमार्ग–7 पर स्थित है। उक्त सडक का मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 200 फीट प्रस्तावित है। अतः 200 फीट सडक के केन्द्र से 100 फीट में आने वाली भूमि का प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पण किया जावेगा।
2. भूखण्ड पर व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का प्रचलित भवन विनियमों के तहत नियमानुसार अनुमोदन कराया जाना होगा।
3. भवन में ग्रीन बिल्डिंग अवधारण के प्रोत्साहन एवं उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
4. भवन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
5. बॉयो–टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।
6. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
7. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर